iFke v/;k;½ IkekU;

1-1 jktLo ikfIr;k dh iofÙk

1-1-1 वर्ष 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम एवं सहायता अनुदान तथा इससे संबंधित विगत चार वर्ष कें आंकडें rkfydk 1-1 में वर्णित है:

rkfydk 1-1
jktLo ikfIr;k dh iofÙk

(₹ djkM e)

I- Ø-	fooj.k	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15	2015&16
1-	jkT; 'kklu }kjk laxfgr jktLo					
	• dj jktLo	10,712.25	13,034.21	14,342.71	15,707.26	17,074.86
	• dj fHkUu jktLo	4,058.48	4,615.95	5,101.17	4,929.91	5,214.79
	;kx	14]770-73	17]650-16	19]443-88	20]637-17	22]289-65
2-	Hkkjr ljdkj l ikfIr;k					
	• foHkkT; l?kh; djk ,o शुल्कों में राज्य के अंश dk fuoy vkxe	6,320.44	7,217.60	7,880.22	8,363.03	15,716.47[1]
	• lgk;rk vuqnku	4,776.21	4,710.33	4,726.16	8,987.81	8,061.59
	;kx	11]096-65	11]927-93	12]606-38	17]350-84	23]778-06
3-	jkT; dh dqy jktLo ikfIr;k ¼1 ,o 2½	25]867-38	29]578-09	32]050-26	37]988-01	46]067-71
4-	1 dk 3 l ifr'kr	57	60	61	54	48

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (₹ 22,289.65 करोड़) के कुल राजस्व का 48 प्रतिशत रहा। वर्ष 2015–16 के दौरान शेष 52 प्रतिशत राजस्व भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

---

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2015–16 के वित्त लेखें में विवरण पत्र क्रमांक 14 ''राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से'' को देखें। लघु शीर्ष ''राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में कर राजस्व के अंतर्गत लेखांकित है, एवं जिसमें मुख्य शीर्ष ''0020–निगम कर, 0021– आय पर कर निगम कर के भिन्न, 0028– आय एवं व्यय पर अन्य करों, 0032–सम्पत्ति कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044– सेवा कर'' शामिल है, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में शामिल किया गया है।

चार्ट 1.1: पिछले पांच वर्षों के राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

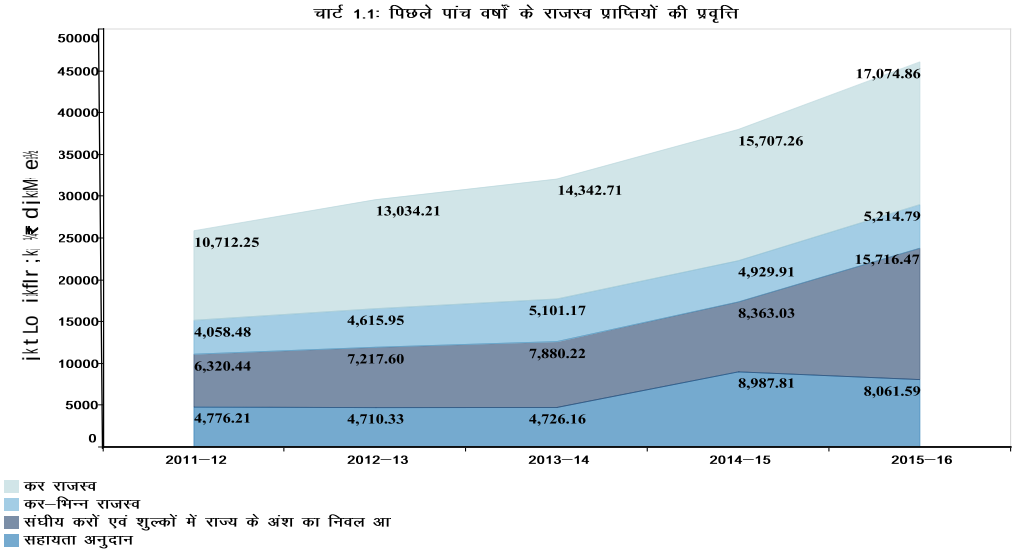

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में राज्य का राजस्व प्राप्ति में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में प्राप्तियों में भारत सरकार का हिस्सा में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट 1.2: वर्ष 2015–16 में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा

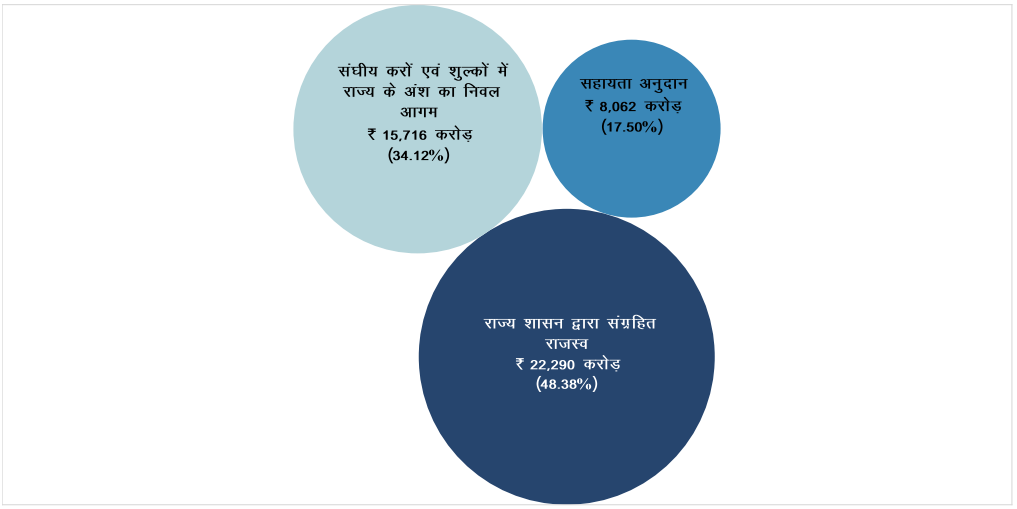

कुल राजस्व प्राप्तियों में से राज्य के संग्रहित राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 48 प्रतिशत रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में छः प्रतिशत कम रहा। भारत सरकार से प्राप्तियों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि शेष 34 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम एवं 18 प्रतिशत सहायता अनुदान थी।

1-1-2 वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण निचे rkfydk 1-2 में वर्णित है:

Rkkfydk 1-2
'kklu }kjk laxfgr dj jktLo dk fooj.k

¼₹ djkM+ e½

l- Ø-	jktLo 'kh"kZ		2011&12	2012&13	2013&14	2014&15	2015&16	o"kZ 2014&15 dh rqyuk esa 2015&16 vkf/kD; ¼$½ ;k deh dk izfr'kr	o"kZ 2015&16 ds okLrfod izkfIr;ka ,oa ctV vuqeku ds vUrj dk izfr'kr
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	c-v-	6,000.00	7,310.20	8,436.00	9,800.00	10,998.00	(+)5.69	(–)19.00
		okLrfod	6,006.25	6,928.65	7,929.51	8,428.61	8,908.36		
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	c-v-	1,550.00	2,200.00	2,675.00	3,150.00	3,528.00	(+)15.42	(–)5.37
		okLrfod	1,596.98	2,485.68	2,549.15	2,892.45	3,338.40		
3.	विद्युत पर कर और शुल्क	c-v-	600.00	780.00	1,000.00	1,100.00	1,400.00	(+)4.56	(–)1.94
		okLrfod	637.97	860.75	1,020.44	1,312.93	1,372.84		
4.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	c-v-	875.00	950.00	1,150.00	1,250.00	1,350.00	(+)15.82	(–)12.21
		okLrfod	845.82	952.47	990.24	1,023.33	1,185.22		
5.	माल एवं यात्रीयों पर कर	c-v-	700.00	950.00	1,192.00	1,335.00	1,441.80	(+)5.95	(–)27.85
		okLrfod	825.67	954.31	945.44	981.88	1,040.26		
6.	वाहनों पर कर	c-v-	475.00	605.71	731.38	800.00	864.00	(+)17.87	(–)4.03
		okLrfod	502.18	591.75	651.07	703.48	829.22		
7.	भू–राजस्व	c-v-	250.00	346.00	415.00	460.00	496.80	(+)9.74	(–)26.76
		okLrfod	270.56	234.11	226.06	331.56	363.84		
8.	अन्य कर राजस्व	c-v-	12.14	19.27	25.62	31.26	7.25	(+)11.21	(+)406.48
		okLrfod	26.82	26.49	30.80	33.02	36.72		
;kx		c-v-	10]462-14	13]161-18	15]625-00	17]926-26	20]085-85	¼$½8-71	¼&½14-99
		okLrfod	10]712-25	13]034-21	14]342-71	15]707-26	17]074-86		

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 में राज्य के कर राजस्व वर्ष 2014–15 की तुलना में 8.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि वर्ष 2015–16 में बजट अनुमान (ब.अ.) के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति में 14.99 प्रतिशत की कमी पाई गई।

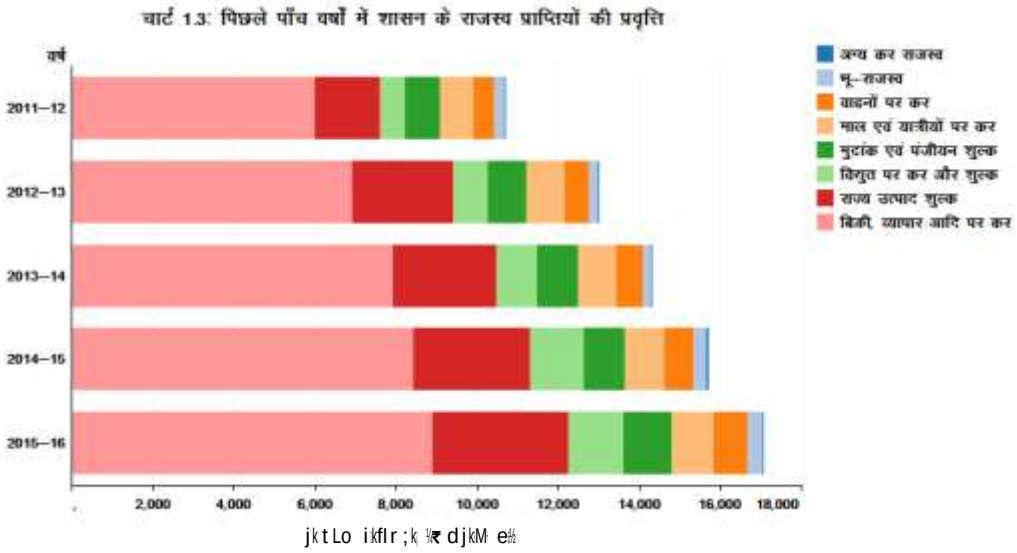

चार्ट 1.3: पिछले पाँच वर्षों में शासन के राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

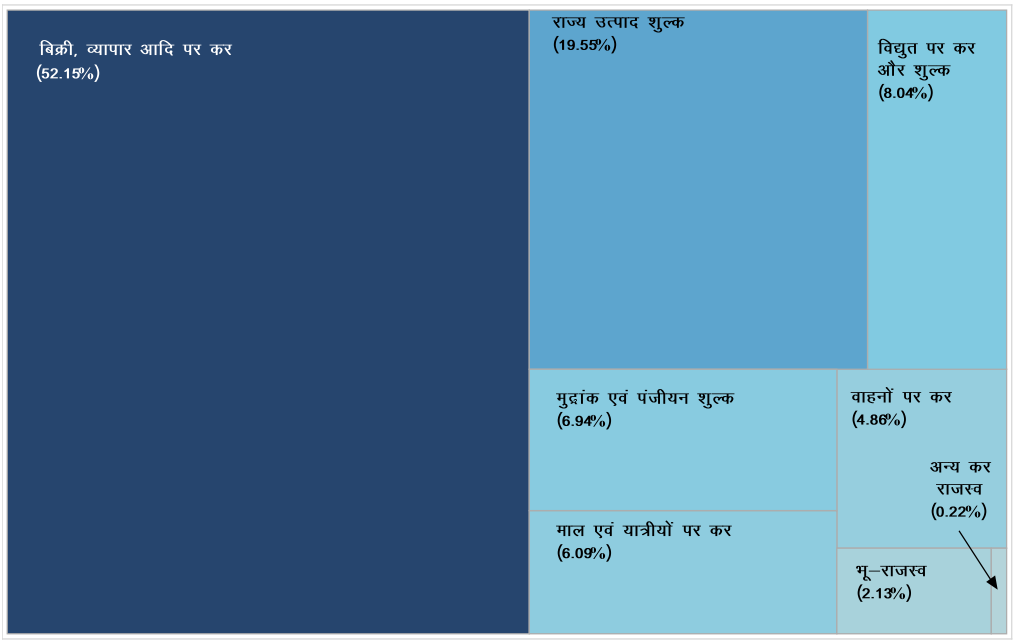

चार्ट 1.4: वर्ष 2015–16 के मदवार राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा

संबंधित विभागों द्वारा अंतरों के कारणों का उल्लेख निम्नानुसार है:

¼v½ o"kZ 2014&15 dh rqyuk esa o"kZ 2015&16 esa izkfIr;ksa ds vUrj ds dkj.k

okguksa ij dj वृद्धि (17.87 प्रतिशत) जीवनकाल कर एवं तिमाही करों में वृद्धि होने के कारण हुई।

enkd ,oa iath;u 'kYd वृद्धि (15.82 प्रतिशत) खनिपट्टों के पंजीयन में वृद्धि होने के कारण हुई।

jkT; mRikn 'kYd वृद्धि (15.42 प्रतिशत) देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से वार्षिक राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने एवं वर्ष 2016–17 के दुकानों के आबंटन से प्राप्त प्रक्रिया शुल्क का वर्ष 2015–16 में प्राप्त होने के कारण हुई।

¼c½ o"kZ 2015&16 eas c-v- ,oa okLrfod izkfIr;ksa dss vUrj dk dkj.k%

fcØh 0;kikj vkfn ij dj% कमी (19 प्रतिशत) पेट्रोलियम पदार्थ एवं लौह एवं इस्पात उद्योगों से कम मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.) की प्राप्ति एवं अंतरराज्यीय संव्यवहारों में कमी एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कच्चा माल के क्रय में कमी होने के कारण हुई।

Hkw&jktLo% कमी (26.76 प्रतिशत) 119 तहसीलों को सुखाग्रस्त घोषित करने के कारण हुई।

eqnzkad ,oa iathd;u 'kqYd% कमी (12.21 प्रतिशत) वित्त विभाग द्वारा प्रथम तिमाही में प्राप्ति के आधार पर ब.अ. को पुनरिक्षण न किये जाने के कारण हुई।

ऊर्जा विभाग द्वारा ब.अ. एवं वास्तविक प्राप्तियों में अंतरों का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया।

ge vuq'kalk djrs gSa fd 'kklu okLrfod ctV rS;kj djs rkfd c-v- ,oa okLrfod esa 10 izfr'kr ls vf/kd dk vUrj u gksA

1-1-3 वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक संग्रहित कर–भिन्न राजस्व के विवरण नीचे rkfydk 1-3 में वर्णित है:

rkfydk 1-3

lax`fgr dj fHkUu jktLo dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

l- Ø-	jktLo 'kh"kZ		2011&12	2012&13	2013&14	2014&15	2015&16	o"kZ 2014&15 dh rqyuk esa 2015&16 vkf/kD; ¼$½ ;k deh dk izfr'kr	o"kZ 2015&16 dsa okLrfod izkfIr;ksa ,oa ctV vuqeku dsa vrj dk izfr'kr
1.	अलौह–धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	c-v-	2,700.00	3,105.00	3,510.00	4,100.00	7,000.00	(+)3.83	(–)47.01
		okLrfod	2,744.82	3,138.18	3,236.01	3,572.68	3,709.52		
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	c-v-	400.00	405.00	450.00	520.00	500.00	(+)17.50	(–)18.05
		okLrfod	341.64	363.96	405.91	348.72	409.75		
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	c-v-	302.40	321.94	399.14	323.40	260.67	(–)37.04	(–)58.48
		okLrfod	216.57	243.13	380.64	171.89	108.23		
4.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	c-v-	282.71	391.46	426.11	421.50	392.53	(+)21.71	(+)29.49
		okLrfod	336.49	357.23	348.64	417.62	508.27		
5.	अन्य कर–भिन्न राजस्व	c-v-	852.07	624.54	1,048.86	819.72	509.79	(+)14.32	(–)6.04
		okLrfod	418.96	513.45	729.70	419.00	479.02		
	;ksx	c-v-	4]537-18	4]847-94	5]834-11	6]184-62	8]662-99	¼$½5-78	(–)39-80
		okLrfod	4]058-48	4]615-95	5]101-17	4]929-91	5]214-79		

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 के तुलना में वर्ष 2015–16 में राज्य के कर–भिन्न राजस्व में 5.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि ब.अ. के विरूद्ध वर्ष 2015–16 में वास्तविक प्राप्तियाँ में 39.80 प्रतिशत कि कमी देखी गई।

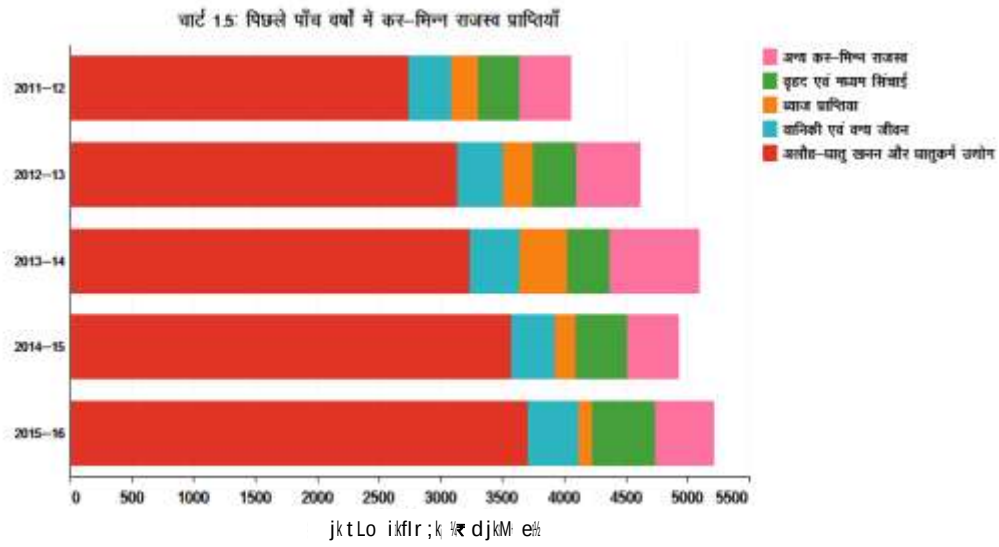

चार्ट 1.5: पिछले पाँच वर्षों में कर–भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ

jktLo ikfIr;k ¼₹ djkM+ e½

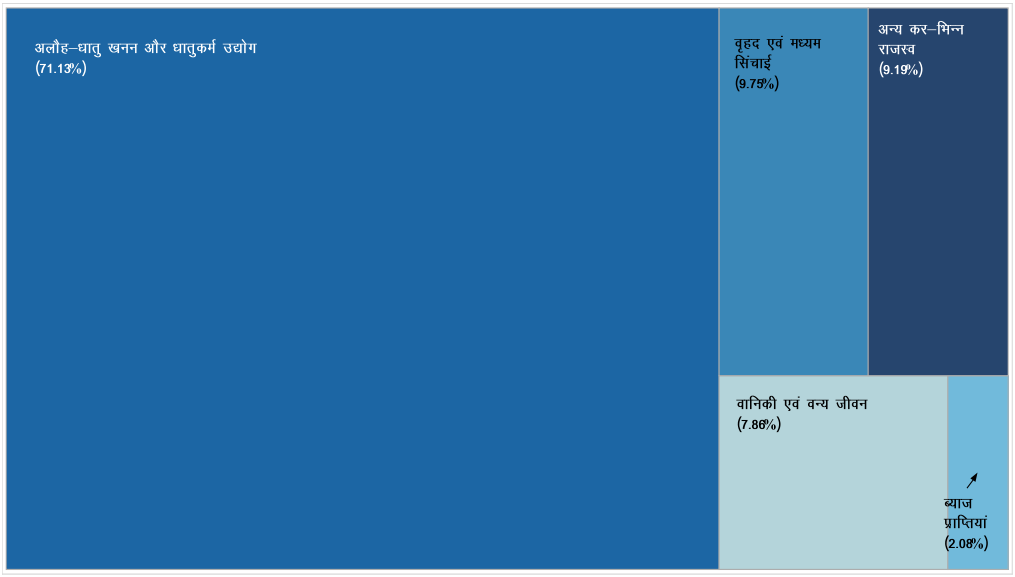

चार्ट 1.6: वर्ष 2015–16 के मदवार कर–भिन्न राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा

संबंधित विभागों द्वारा अंतर के कारणों का उल्लेख निम्नानुसार है:

¼v½ o"k 2014&15 dh rqyuk e o"k 2015&16 e ikfIr;k d vrj d dkj.k

okfudh ,o oU; thou½ वृद्धि (17.50 प्रतिशत) उत्पादन में वृद्धि एवं नीलामी एवं निस्तार डिपों में वनोपज के विक्रय में अधिक प्राप्ति होने के कारण हुई।

ogn ,o e/;e flpkb½ वृद्धि (21.71 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के दो निगमों से संपूर्ण जलकर प्राप्त होने एवं औद्योगिक ईकाईयों से जलकर का अधिक वृद्धि का लक्ष्य होने के कारण हुई।

¼c½ o"k 2015&16 e c-v- ,o ikfIr;k d vrj d dkj.k

vykg /kkrq ,o [kfudel m|kx½ कमी (47.01 प्रतिशत) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार वर्ष 2015–16 में खनिपट्टों से कोयला ब्लाक आंबटन पर शास्ति ₹ 295 प्रति मैट्रिक टन के अपेक्षा में बजट अनुमान तय करने के कारण।

okfudh ,o oU; thou% कमी (18.05 प्रतिशत) पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, कोण्डागांव (दक्षिण) एवं नारायणपुर वनमंडलों के कार्य आयोजना का भारत शासन से अनुमोदन न होने के कारण हुई।

ogn ,o e/;e flapkbZ% वृद्धि (29.49 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के दो निगमों से संपूर्ण जलकर प्राप्त होने एवं औद्योगिक ईकाईयों से जलकर का अधिक वृद्धि का लक्ष्य होने के कारण हुई।

1-2 cdk;k jktLo dk fo'ys"k.k

31 मार्च 2016 की स्थिति में कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के बकाया राजस्व ₹ 1,663.09 करोड़ थें, जिसमें ₹ 474.65 करोड़ पांच वर्षों से अधिक बकाया थें, जैसा कि **rkfydk** 1-4 में वर्णन किया गया है:

rkfydk 1-4% cdk;k jktLo

¼₹ djksM+ esa½

l- Ø-	jktLo 'kh"kZ	31 ekpZ 2016 rd cdk;k jkf'k	31 ekpZ 2016 rd ikap o"kZ ls vf/kd le; ls cdk;k jkf'k	foHkkx dk mÙkj
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1,004.83	334.08	31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल बकाया में से ₹ 625.18 करोड़ विभिन्न न्यायालयों द्वारा वसूली बकाया का स्थगन, अन्य राज्यों को प्रेषित राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा.व.प्र.) का निराकरण न होना, फर्म का बंद होना, अपर्याप्त चल/अचल संपत्तियों को बट्टे खातों में डालने आदि होने के कारण। शेष बकाया के वसूली हेतु रा.व.प्र. जारी की जा रही है।
2.	विद्युत कर एवं शुल्क	476.30	6.25	बकाया वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है।
3.	वाहनों पर कर	12.47	3.48	वाहन स्वामियों द्वारा निश्चित समय अवधि में कर जमा नहीं किये जाने के कारण। वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिया गया है एवं अधिकारीयों, जांच चौकियों/उड़न दस्ताओं को त्वरीत बकाया वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिये गये है।
4.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	16.47	–	विभाग द्वारा पांच वर्षों से अधिक के बकाया की जानकारी प्रदाय नहीं कि गई। जिला पंजीयकों के मांग सूचना अनुरूप बकाया की वसूली की जा रही है।
5.	अलौह धातु एवं खनिकर्म उद्योग	85.91	85.91	विशेष वाहक द्वारा समस्त क्षेत्रिय कार्यालयों को बकाया वसूली हेतु निर्देशित किया जा चूका है। अवसूलीय बकाया को बट्टे खातों में डालने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जा चूका है।
6.	भू–राजस्व	37.11	44.93	नगर निगम/परिषदों से प्रब्याजि की वसूली न होने के कारण, नक्सल प्रभावित एवं सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में वसूली को स्थगित करने एवं कर्मचारियों का विभिन्न कार्यों में संलग्न होने के कारण।
	;ksx	1]633-09	474-65	

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बकाया राशि ₹ 1,633.09 करोड़ वसूली हेतु लंबित है। जिसमें से ₹ 474.65 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक बकाया है, जो कि कुल बकाया का 29 प्रतिशत है एवं वसूली हेतु ठोस प्रयास किया जाना चाहिए।

ge vu'kalk djr! g! fd 'kklu ikp o"kk! l! vf/kd d! cdk;k jkf'k d! olyh gr! vko';d dk;okgh dj!A

1-3 dj fu/kkj.k gr! cdk;k

वर्ष 2015–16 के प्रारम्भ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरणों की जानकारी, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत एवं वर्ष के अन्त में लंबित प्रकरण जैसा कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वैट, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासता कर एवं निर्माण कार्य करार पर कर के संबंध में सूचित किया गया, rkfydk 1-5 मे प्रदर्शित है।

rkfydk 1-5% dj fu/kkj.k gr! cdk;k

jktLo 'kh"k	ikjfHkd 'k"k	2015&16 d! nkjku dj fu/kkj.k gr! u, i!dj.k	dy ylfcr dj fu/kkj.k	2015&16 d! nkjku fujkd!r i!dj.k	o"k d! vr e! 'k"k i!dj.k	fujkdj.k dk ifr'kr ¼dkye 5 l! 4½
1	2	3	4	5	6	7
मूल्य सवंर्धित कर	50,018	82,062	1,32,080	90,985	41,095	68.89
वृत्ति कर	8,617	842	9,459	9,236	223	97.64
प्रवेश कर	20,768	45,183	65,951	46,556	19,395	70.59
विलासिता कर	78	142	220	129	91	58.64
निर्माण कार्य करार पर कर	118	740	858	600	258	69.93
;kx	79]599	1]28]969	2]08]568	1]47]506	61]062	70-72

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2015–16 के अंत तक कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों का 70.72 प्रतिशत ही विभाग द्वारा निराकरण किया जा सका।

vf/kd jktLo l!xg.k gr! 'kklu bu ylfcr i!dj.kk! dk vfr'k?k fujkdj.k gr! le;c) dk;okgh dj ldrh gA

1-4 foHkkx }kjk [kkt! x;! dj vioapu

वणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर मांगो के विवरण rkfydk 1-6 में वर्णित हैः

rkfydk 1-6% dj vioapu

¼₹ yk[k esa½

l- Ø-	jktLo 'kh"kZ	31 ekpZ 2015 rd ds yafcr izdj.kksa dh la[;k	o"kZ 2015&16 esa [kksts x;s izdj.kksa dh la[;k	;ksx	,sls izdj.kksa dh la[;k ftles fu/kkZj.k@vUos"k.k dj vfrfjä ekax ds lkFk 'kkfLr vkfn dh ekax dh xbZ		31 ekpZ 2016 rd fujkdr fd;s tkus okys yafcr izdj.kksa dh la[;k
					izdj.kksa dh la[;k	ekax dh jkf'k	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	136	36	172	78	40,696.88	94
	;ksx	136	36	172	78	40]696-88	94

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2016 की स्थिति में लगभग 55 प्रतिशत प्रकरण निराकरण हेतु बकाया थे।

ge vuq'kalk djrs gS fd 'kklu yafcr izdj.kksa dk le;c) dk;Zokgh dj Rofjr fujkdj.k djs rkfd 'kklu dks gkus okyh jktLo gkfu;ksa ls cpk tk ldsA

1-5 yafcr izfrnk; izdj.k

वणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2015–16 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदायों और वर्ष 2015–16 कें अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या rkfydk 1-7 में वर्णित हैः

rkfydk 1-7% yafcr izfrnk; izdj.kksa dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

l- Ø-	fooj.kh	foØ; dj@ew-l-d-	
		izdj.kksa dh la[;k	jkf'k
1.	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावा	839	10.07
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा	3,856	228.55
3.	वर्ष के दौरान अनुमत्य प्रतिदाय	3,492	227.31
4.	वर्ष के अंत में शेष दावा	1,203	11.31

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल 74 प्रतिशत प्रकरणों में ही प्रतिदाय प्रदाय मान्य किया गया।

ge 'kklu ls vuq'kalk djrs gS fd izfrnk; nkoksa dk tYn ls tYn fujkdj.k djus gsrq vko';d dk;Zokgh djs rkfd C;kt nkf;Ro ls cpk tk ldsA

1-6 ys[kkijh{kk ds izfr 'kklu@foHkkxksa dh izfrfØ;k

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, शासन के विभागों के लेन–देन की नमूना जाँच कर सामयिक निरीक्षण करता है तथा यह सत्यापित करता है कि महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसार किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितताएं जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते है तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियों को शीघ्र सुधार कार्य करने के लिए भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मलित आपत्तियों पर अनुपालन किया जाना आपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2016 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवदेनों के समीक्षा में पाया गया कि 2,934 निरीक्षण प्रतिवदेनों के 11,685 कंडिकाओं जिसमें राशि ₹ 12,980.27 करोड़ सन्निहित है जून 2016 तक बकाया थे, जैसा कि rkfydk 1-8 में पिछले दो वर्षों के आंकडों से साथ दर्शित है।

Rkkfydk 1-8
Ykafcr fujh{k.k izfrosnuksa dk fooj.k

	twu 2014	twu 2015	twu 2016
fujkdj.k gsrq yafcr fujh{k.k izfrosnuksa dh la[;k	2,645	2,811	2,934
yafcr ys[kkijh{kk iz{k.kksa dh la[;k	10,419	11,073	11,685
lfUufgr jktLo@O;; jkf'k ¼₹ djksM+ esa½	6,090.69	7,132.64	12,980.27

1-6-1 30 जून 2016 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे rkfydk 1-9 में किया गया है:

rkfydk 1-9
foHkkxokj fujh{k.k izfrosnuksa dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

l-Ø-	foHkkx dk uke	jktLo dh izd`fr	fu-iz- dk izdkj	cdk;k fu-iz- dh la[;k	cdk;k ys[kkijh{kk iz{k.kksa dh la[;k	lfUufgr jkf'k
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	jkt-	449	2,827	507.69
			O;;	23	44	5.42
2.	वाणिज्यिक कर (आबकारी)	राज्य उत्पाद	jkt-	133	364	401.24
		मनोरंजन कर	O;;	74	117	3.94
		उत्पाद एवं मनोरंजन कर	jkt-	14	28	0.22
3.	वाणिज्यिक कर (पंजीकरण)	मुद्रांक एवं पंजीन फीस	jkt-	236	670	89.45
			O;;	4	10	1.81
4.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	भू–राजस्व	jkt-	580	1,802	1058.18
			O;;	31	75	13.21
5.	परिवहन	यानों पर कर	jkt-	160	1,221	183.49
			O;;	30	70	0.13

6.	खनिज साधन	अलौह धातु एवं खनीकर्म उद्योग	jkt-	149	542	860.52
			0;;	15	25	225.67
7.	वन	वानिकी एवं वन्य जीवन	jkt-	339	1,034	1260.17
			0;;	393	1,734	736.78
8.	ऊर्जा	विद्युत कर एवं शुल्क	jkt-	14	66	1650.06
			0;;	1	4	5330.97
9.	अन्य कर विभागों	अन्य प्राप्तियां	jkt-	288	1,042	651.19
			0;;	1	10	0.13
;kx				2]934	11]685	12]980-27

jkt-&jktLo

वर्ष 2015–16 के दौरान जारी किये गये 155 निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा के 121 निरीक्षण प्रतिवदनों (78 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर विभाग से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। निरीक्षण प्रतिवेदनों की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि विभागाध्यक्षों का रवैया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति गंभीर नहीं है।

1-6-2 foHkkxh; ys[kkijh{kk lfefr cSBd

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना निरीक्षण प्रतिवदेन और निरीक्षण प्रतिवदेन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई।

वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों के बैठकों के आयोजन का विवरण rkfydk 1-10 में दर्शित है।

rkfydk 1-10

ys[kkijh{kk lfefr cSBd dk vk;kstuk dk fooj.k

foHkkx	dqy vk;ksftr cSBdksa dh la[;k	dqy fujkd`r dafMdkvksa dh la[;k	jkf'k ¼₹ yk[k esa½
वाणिज्यिक कर	1	11	12.35
खनिज साधन	1	21	425.29
;kx	2	32	437-64

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 में दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन किया गया, 32 कंडिकाओं जिसमें राशि ₹ 437.64 लाख सम्मलित है का निराकरण किया गया।

1-6-3 ys[kkijh{kk gsrq vfHkys[kksa dk izLrqr ugha fd;k tkuk

कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों का स्थानिय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससें विभाग लेखापरीक्षा जांच हेतु वांछित अभिलेख तैयार कर सकें।

वर्ष 2015–16 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के 41 कर निर्धारण प्रकरणों एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पाँच प्रकरणों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विवरण rkfydk 1-11 में दिया गया है

rkfydk 1-11
viLrqr vfHkys[kksa dk fooj.k

dk;kZy;@foHkkx dk uke	o"kZ ftlesa budh ys[kkijh{kk dh tkuh Fkh	izdj.kksa fd la[;k ftldh ys[kkijh{kk dh ugha tk ldh
वाणिज्यिक कर	2015–16	पाँच[2] ईकाइयों के 41 प्रकरणों
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	2015–16	पाँच[3] ईकाइयों के पाँच प्रकरणों

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा को 46 अभिलेखों प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना लेखापरीक्षा को संवैधानिक दायित्व पूरा करने में बाधा पहुँचाता है और लेखापरीक्षा के कारण जो राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता था उससे वंचित रहा।

1-6-4 izk:i ys[kkijh{kk dafMdkvksa ij foHkkxksa dh izfrfØ;k

महालेखाकार द्वारा सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेषणों पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवदेन में सम्मलित होने वाली प्रारूप कंडिकाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसका उत्तर छः सप्ताह के भीतर देना होता है। शासन/विभागों से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवदेन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 24 प्रारूप कंडिकाएं प्रमुख सचिवों/सचिवों को जुलाई 2016 में भेजा गया था। खनिज साधन विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग से बहिर्गमन सम्मेलन क्रमशः दिनांक 21 अक्टुबर 2016 एवं 24 अक्टुबर 2016 को आयोजन हुआ। प्रारूप कंडिकाओं पर प्रमुख सचिवों/सचिवों के उत्तर उचित स्थान पर समाहित कर एवं इस प्रतिवेदन में टिप्पणी किया गया है।

1-6-5 ys[kkijh{kk ij vuqorhZ dk;Zokgh&lkjka'k fLFkfr

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानसुार, लेखापरीक्षा विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के अंदर प्रतिवदेन की सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखापरीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (राजस्व क्षेत्र) के समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 एवं 2015 की 179 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मलित कर) को राज्य विधानसभा में मार्च 2010 एवं मार्च 2016 के मध्य प्रस्तुत किया गया। 30 जून 2016 की स्थिति में 31 मार्च 2005 से 2014 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 21 कंडिकाओं पर संबंधित विभागों से कार्यवाही की व्याख्यातमक टीप प्राप्त नहीं हुई है।

2 वणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.)–III, रायपुर के 24 प्रकरणों; वा.क.अ.–II, बिलासपुर के तीन प्रकरणों; वा.क.अ.– I, रायपुर के एक प्रकरण; सहायक आयुक्त (स.अ.)– I, संभाग– II, रायपुर के एक प्रकरण एवं उपायुक्त (उ.अ.)(मुख्यालय), रायपुर के 12 प्रकरणों

3 तहसीलदार, बैकुंठपुर; तहसीलदार, महासमुंद; तहसीलदार, पंडरिया; कलेक्टर, कोरीया एवं कलेक्टर, मुंगेली के एक–एक प्रकरण

लोक लेखा समिति द्वारा 2000–01 से 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 157 चुनिंदा कंडिकाओं में से 124 कंडिकाओं को चर्चा हेतु चयन किया गया था एवं 75 कंडिकाओं के अनुशंसाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007–08 एवं 2009–10 में सम्मलित किया गया। परंतु 15 अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से कार्यवाही टीप प्राप्त नहीं हुए, जिसका विवरण rkfydk 1-12 में दिया गया है:

rkfydk 1-12

vuq'kalkvksa dks lkisf{kr esa viklr dk;Zokgh Vhi dk fooj.k

o"kZ	foHkkx dk uke							;kx
	[kfut	jkT; mRikn	ÅtkZ	ifjogu	0kf.kfT;d dj	iatrhdj.k	ou	
2000–01	–	–	–	–	–	1	–	1
2004–05	1	–	–	–	–	–	1	2
2005–06	1	–	–	–	3	–	–	4
2006–07	–	–	–	–	1	–	–	1
2007–08	–	1	1	2	2	–	–	6
2008–09	–	–	–	1	–	–	–	1
;kx	2	1	1	3	6	1	1	15

1-7 ys[kkijh{kk esa mBk;s x;s fo"k;ksa ij dk;Zokgh djus gsrq iz.kkyh dk fo'ys"k.k

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से उठाये गये मुद्दों को सम्बोधित करने हेतु प्रणाली का विश्लेषण, विभाग/शासन द्वारा पिछले 10 वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मलित कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यवाही हेतु एक विभाग का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया हैं।

अनुवर्ती कंडिका 1.7.1 से 1.7.3 के अन्तर्गत ou foHkkx के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं गत 10 वर्ष में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये एवं ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2005–06 से 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मलित किये गये है का आकंलन कर चर्चा की गई है।

1-7-1 ou foHkkx ds fujh{k.k izfrosnuksa dh fLFkfr

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाऐं और 31 मार्च 2015 के अनुसार उनकी स्थिति नीचे rkfydk 1-13 में दर्शायी गई है:

rkfydk 1-13

fujh{k.k izfrosnuksa dh fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

l- Ø-	o"kZ		izkjfEHkd 'ks"k			o"kZ ds nkSjku tksM+s x,			o"kZ ds nkSjku fujkd`r			vfre 'ks"k		
			fu- iz-	dafMd k,sa	jkf'k	fu- iz-	dafMd k,sa	jkf'k	fu- iz-	dafMd k,sa	jkf'k	fu- iz-	dafMd k,sa	jkf'k
1.	2005–06	jkt-	256	883	811.95	11	58	104.48	1	31	28.42	266	910	888.01
		0;;	291	1030	209.49	2	12	13.30	1	6	3.04	292	1036	219.75
2.	2006–07	jkt-	266	910	888.01	–	–	–	–	–	–	266	910	888.01
		0;;	292	1036	219.75	13	107	40.78	4	49	10.16	301	1094	250.37
3.	2007–08	jkt-	266	910	888.01	–	–	–	–	–	–	266	910	888.01
		0;;	301	1094	250.37	1	08	1.27	1	6	0.03	301	1096	251.61
4.	2008–09	jkt-	266	910	888.01	10	38	164.59	2	34	13.27	274	914	1039.33

		0;;	301	1096	251.61	11	78	55.89	3	53	15.92	309	1121	291.58
5.	2009–10	jkt-	274	914	1039.33	2	25	17.11	3	34	11.81	273	905	1044.63
		0;;	309	1121	291.58	7	44	17.86	2	23	2.34	314	1142	307.10
6.	2010–11	jkt-	273	905	1044.63	13	69	206.52	–	4	0.38	286	970	1250.77
		0;;	314	1142	307.10	16	131	116.66	–	13	4.91	330	1260	418.85
7.	2011–12	jkt-	286	970	1250.77	13	46	16.24	–	6	147.76	299	1010	1119.25
		0;;	330	1260	418.85	15	155	61.15	–	12	1.53	345	1403	478.47
8.	2012–13	jkt-	299	1010	1119.25	13	37	24.14	5	95	64.00	307	952	1079.39
		0;;	345	1403	478.47	21	177	95.99	7	74	40.10	359	1506	534.36
9.	2013–14	jkt-	307	952	1079.39	16	48	16.45	2	24	84.26	321	976	1011.58
		0;;	359	1506	534.36	22	208	163.65	4	80	33.99	377	1634	664.02
10.	2014–15	jkt-	321	976	1011.58	11	46	230.10	–	1	0.01	332	1021	1241.67
		0;;	377	1634	664.02	13	112	64.75	1	43	14.36	389	1703	714.41

पुरानी कंडिकाओं के निराकरण हेतु शासन, विभाग और महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करवाती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2005–06 के प्रारंभ में 558 (266 राजस्व एवं 292 व्यय) लंबित निरीक्षण प्रतिवदेनों में 1,946 (910 राजस्व एवं 1,036 व्यय) कंडिकाऐं थी जो 2014–15 के अन्त तक बढ़कर 721(332 राजस्व एवं 389 व्यय)लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन के 2,724 (1021 राजस्व एवं 1703 व्यय) कंडिकाऐं हो गई। वन विभाग ने वर्ष 2015–16 में कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक आयेजित नहीं की।

1-7-2 Lohd`r izdj.kksa dh olwyh

पिछले 10 वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो वन विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूल की गई राशि नीचे rkfydk 1-14 में वर्णित है:

rkfydk 1-14

Lohd`r izdj.kksa dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ		lEefyr dh xbZ dfMdkvksa dh la[;k	jkf'k	Lohd`r dfMdkvksa dh la[;k	Lohd`r dfMdkvksa dh jkf'k	olwy dh xbZ jkf'k
2005–06	jkt-	3	43.74	–	36.22	–
	0;;	2	0.70	1	0.35	–
2006–07	jkt-	2	2.43	–	–	–
	0;;	2	0.32	–	–	–
2007–08	jkt-	–	–	–	–	–
	0;;	–	–	–	–	–
2008–09	jkt-	–	–	–	–	–
	0;;	–	–	–	–	–
2009–10	jkt-	–	–	–	–	–
	0;;	–	–	–	–	–
2010–11	jkt-	4	15.00	3	1.70	–
	0;;	–	–	–	–	–
2011–12	jkt-	4	0.72	1	0.04	–
	0;;	9	14.48	3	0.58	–
2012–13	jkt-	1	0.01	1	0.01	–
	0;;	4	9.15	–	–	–
2013–14	jkt-	5	8.28	1	0.06	–
	0;;	5	5.67	–	–	–
2014–15	jkt-	2	0.17	–	–	–
	0;;	3	2.19	–	–	–
;ksx		46	102-86	10	38-96	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों में कोई वसूली नहीं हुई है। संबंधित बकायादारों से स्वीकृत प्रकरणों मेंबकाया राशि के वसूली हेतु प्रयास किया जाना था। आगे वन विभाग के कार्यालय में बकाया प्रकरण एवं स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं थी। किसी भी उपयुक्त प्रणाली की अनुपस्थिति में विभाग स्वीकृत प्रकरणों की वसूली की निगरानी नहीं कर पाया।

ge vu'klk djr g dh foHkkx Lohd`r idj.kk d olyh gr rRdky dk;okgh dju gr igy ,o fuxjkuh djA

1-7-3 'kklu@foHkkxk }kjk Lohd`r vu'klvk ij dh xb dk;okgh

महालेखाकार द्वारा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का प्रारूप संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन नि.ले.प. पर बहिर्गमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है तथा विभागों/शासन के मंतव्यों को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

नीचे दिये गए कंडिकाओं में वन विभाग की नि.ले.प. में उठाये गये विषय वर्ष 2009–10, 2012–13 एवं 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शमिल किये गये। अनुशंसाओं का विवरण और स्थिति rkfydk 1-15 में दर्शायी गई है।

rkfydk 1-15% vu'klvk dh fLFkfr dk fooj.k

ifrosnu o"k	vu'klvk dh l[;k	vu'klvk dk fooj.k	fLFkfr
ou ikfr;k d fu/kkj.k ,o lxg.k			
2009–10	8	समयबद्ध योजना ढंग से बकाया की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।
		विभाग को वाणिज्यिक कर/वैट को सही खाता शीर्ष में जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना चाहिये।	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।
		कार्य आयोजना तैयार करनें में निगरानी एवं प्रावधानों को लागु करना।	प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 66 दिनांक 13.1.15, पत्र क्र. 10 एवं 18 दिनांक 1.1.16 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों (मु.व.सं.) एवं वनमंडलाधिकारी (व.म.अ.) को निर्देश जारी कर दिये गये है।
		कूप नियंत्रण पंजीयाँ, कक्ष इतिहास और काष्ठ लेखा को समय पर तैयार करना एवं प्रस्तुत करने की आवश्यक सुविधा बनाना।	प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 14/उत्पादन. 1/12, 14, 16 दिनांक 1.1.16 एवं पत्र क्र. 519 दिनांक 21.3.16 द्वारा समस्त वन वृत्तों का निर्देशित कर दिया गया है।
		निस्तार डिपों में वनोपज के लक्ष्यों के निर्धारण एवं निवर्तन हेतु स्पष्ट कदम उठाया जाना।	प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 14/उत्पादन. 3/1489 दिनांक 14.07.11, पत्र क्र. 916 दिनांक 24.5.16 एवं 944 दिनांक 26.5.16 द्वारा समस्त वन वृत्तों को निर्देशित कर दिया गया है।
		राजस्व की सही प्राप्ति एवं निर्धारित समयावधि में शासकीय लेखों में जमा करने के प्रावधानों के अनुपालन हेतु वनमण्ड़ल कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दिये जाना।	प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. उत्पादन. 3/1527 दिनांक 13.09.13, पत्र क्र. 968 दिनांक 19.6.14 एवं 946 दिनांक 27.5.16 द्वारा समस्त वन वृत्तों का निर्देशित कर दिया गया है।
		आंतरिक नियंत्रण लेखापरीक्षा शाखा (आं.ले.प. शा.) को मजबूत करे और इसके टिप्पणियों पर	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

		उपचारात्मक कार्यवाहीके लिए समय सीमा निर्धारित करे।	
		नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत अभिलेख निलामीवार रखें ताकि वनोपज के नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके, का अनुपालन सुनिश्चित करना एवं वनोपज के विक्रय से प्राप्ति में वृद्धि हो सके संबंधी निर्देश वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को जारी करना।	शासन, वन विभाग द्वारा पत्र क्र. 299 दिनांक 3.3.05 एवं प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 265, 267 एवं 269 दिनांक 30.4.15 द्वारा समस्त वन वृत्तों का निर्देशित कर दिया गया है।
** NÙkhlx<+ jkT; {kfriwfrZ ouhdj.k izca/ku ,oa ;kstuk vfHkdj.k** ¼dSEik½**			
2012–13	7	शासन द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित गैर–वनीय भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य सामान्यतः गैर–वनीय क्षेत्र में किया जाता है, परंतु अतिक्रमण से बचाने हेतु वृक्षारोपण का कार्य रिक्त स्थलों में भी कभी–कभी कार्य लीया जाता है।
		उपयोगकर्त्ता अभिकरणों द्वारा गैर–वानिकी कार्यों हेतु भारत शासन द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों को पालन करने के उपरांत ही वनभूमि के व्यपवर्तनकी अंतिम स्वीकृति प्रदान किया जाना।	विभाग ने व्यक्त(नवम्बर 2016) किया की वन संरक्षण अधिनियम यथा संशोधित 1981 एवं 1988 एवं पुनरिक्षित अधिसूचना का अक्षरशः पालन किया जाता है।
		विभिन्न स्तरों पर लंबित खनन प्रकरणों के नवीनीकरण का त्वरीत निराकरण तथा खनिज क्षेत्रों में खनन कार्यों के क्रियान्वयन का प्रभावी नियंत्रण।	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।
		उपयोगकर्त्ता अभिकरणों से प्राप्त गैर–वनीय भूमि को अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया को निश्चित समय पर किया जाय।	गैर–वनीय कार्य हेतु व्यपवर्तित वनभूमि से प्राप्त गैर–वनीय भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया जाता है।
		वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों क अनुरूप तथा विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि माँग हेतु उचित प्रणाली का विकास किया जाना।	प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 358 दिनांक 11.3.13, एवं पत्र क्र. 540 दिनांक 5.4.13 द्वारा समस्त वनवृत्तों को निर्देश जारी कर दिये गये है।
		विभाग द्वारा विभिन्न वानिकी कार्यों हेतु जारी किये गये नार्म्स, दर आदि का कैम्पा के अंतर्गत किये गये विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों में क्रियान्वयन किया जाना।	वर्तमान में प्र.मु.व.सं द्वारा विभागीय कार्यों हेतु निर्धारित मानकों का ही कैम्पा कार्य में प्रयुक्त किये जाते है। कैम्पा हेतु कोई पृथक से मानक नहीं है।
		कैम्पा मद के अंतर्गत किये गये विभिन्न वृक्षारोपणों का कार्य आयोजना मैन्यूअल में प्रावधानित अनुसार अभिलेखों का संधारण किया जाना।	मार्च 2013 तक कुल 807 स्वीकृत कार्यों में से 321 कार्यों के वृक्षारोपण जरनल/रोपणी जरनल/माप पुस्तिका की जाँच की जा चुकी है। शेष बचे कार्यों के अभिलेखों का समयनुसार जाँच कर लिया जावेगा।
ckal dk mRiknu ,oa mipkj			
2013–14	9	शासन बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकता है जिससे उपचारित क्षेत्र की उत्पादकता का आंकलन हो सके एवं तदानुसार उन क्षेत्रों में अग्रेतर वानिकी कार्य अथवा विदोहन कार्य लिया जा सके।	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।
		शासन अलाभकारी/अनुत्पादक बांस कूपों के	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

		समय से उपचार किये जाने को सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।	
		शासन कार्य आयोजना के प्रावधानों तथा विभागीय निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागु करने पर विचार कर सकता है जिससे बिगड़े बांस वन क्षेत्र का बांस के स्थायी विकास हेतु प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।
		शासन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकता है जिससे उपचार कार्य क विहित समयावधि में तथा प्रभावी ढंग से सम्पादन को सुनिश्चित किया जा सके।	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।
		शासन, रोपणों की प्रगति की प्रभावी निगरानी हेतु कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप रोपण पंजी का सही प्रारूप जारी करने तथा उसका संधारण सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।
		शासन/विभाग को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बांस विदोहन हेतु दीर्घ अवधि की योजना बनानी चाहिये तथा वित्तीय रूप से अलाभकारी बांस कूपों में यथेष्ट वानिकी उपचार करना चाहिये।	प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 66 दिनांक 13.1.05 द्वारा समस्त वनवृत्तों को निर्देश जारी कर दिये गये है।
		शासन के राजस्व हितों को सुरक्षित करने हेतु, शासन अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में अत्याधिक अंतरों पर अंकुश रखने के लिए एक मानदंड आधारित प्रणाली बनाने पर विचार कर सकता है।	प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 14/उत्पादन 3/15/443 दिनांक 24.3.15 द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये है।
		शासन को कूपों से बांसागारों में बांस के परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक कमी से बचने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिये।	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।
		शासन, विभाग एवं क्रेताओं द्वारा विक्रय की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकता है जिससे औद्योगिक बांस के विक्रय के दौरान अधिकतम राजस्व की वसूली को सुनिश्चित किया जा सके।	उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

1-8 ys[kkijh{kk ;kstuk

विभिन्न विभागों के अंतर्गत ईकाई कार्यालयों का वर्गीकरण उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम ईकाईयों में किया गया है, जो राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुरानी प्रवृत्ति और अन्य पैमानों पर निर्भर करता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर शासन की राजस्व प्राप्तियों के नाजुक विषय, कर प्रशासन जैसे बजट भाषण, राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्रीय), कर सुधार समिति की अनुशंसाऐं, पिछले पांच वर्षों का राजस्व अर्जन, सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताऐं, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले पांच वर्षों में इसका प्रभाव आदि को सम्मलित करते हुये की जाती है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 463 लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों में से 86 ईकाईयों की लेखा परीक्षा की गई जो की कुल लेखापरीक्षा योजना का 100 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 में की गई लेखापरीक्षा ईकाईयों की सूची *ifjf'k"V 1-1* में दर्शाया गया है।

इसके अलावा उपरोक्त दर्शाये अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक लेखापरीक्षा भी की गयी।

1-9 y[kkijh{kk ifj.kke

o"k d nkjku dh xbZ LFkkuh; y[kkijh{kk dh fLFkfr

वर्ष 2015–16 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, खनिज प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर, वानिकी एवं वन्य जीवन एवं विद्युत शुल्क के 86 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि के राशि ₹ 329.30 करोड़ के 55,971 प्रकरण पाए गए। वर्ष 2015–16 के दौरान संबंधित विभागो ने 27,557 प्रकरणों में सम्मलित राशि ₹ 72.80 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार करते हुए 15 प्रकरणों में राशि ₹ 72.22 लाख की वसूली की गई।

1-10 bl ifronu dk {k=

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा **vk|kfxd uhfr;k d vrxr m|kxk dk nh xbZ NV ,o vunku** एवं एक लेखापरीक्षा **NÙkhlx<+ jkT; ek jk"Vh; ouhdj.k dk;Øe d fØ;kUo;u** सहित 24 कंडिकायें जिसमें ₹ 111.10 करोड़ सन्निहित है जिसमें से शासन ने ₹ 37.19 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेषणों को मानते हुए 15 प्रकरणों में ₹ 72.22 लाख वसूल कर ली है। शेष प्रकरणों में शासन/विभागों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2016)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय दो से सात में की गई है।

1-11 y[kkijh{kk d i{k.kk ij foHkkx }kjk fd;s x;s संशkk/kuk

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रेक्षणों पर वणिज्यिक कर विभाग द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये गये:

rkfydk 1-16% y[kkijh{kk i{k.kk ij किये गये संशkk/kuk

foHkkx dk uke	y[kkijh{kk ifronu d dfMdk dk lnHk	y[kkiरीक्षा प्रेक्षणों पर किये गये संशkk/ku
वाणिज्यिक कर विभाग	31 मार्च 2015 की समाप्ति वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका 2.2.16	पूर्व में व्यवसायी ₹ एक लाख एवं उससे ऊपर की खरीदी पर ही उसका विवरण देने हेतु बाध्य थे। इस संशोधन (अप्रैल 2016) के बाद, व्यवसायी को आगत कर छुट पर समस्त विवरण देना होगा।